न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्र.क्र. 591/15/PB.R

(35)

अनवर खाँन ---- प्रार्थी

V/S

मातृभूमि डवलपर्स — प्रतिप्रार्थी

आवेदन पत्र बाबत शीघ्र सुनवाई

श्रीमान महोदय

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है

(1) यह कि उपरोक्त प्रकरण मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 30-4-15 नियत है

(2) यह कि प्रार्थी का उपरोक्त प्रकरण आवश्यक प्रकृति है और नियत तारीख पेशी दिनांक 30-4-15 नियत यदि प्रार्थी नियत तारीख 30-4-15 तक इन्तजार करता है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निराकरण कर दिया जाएगा तो और प्रार्थी की निगरानी विफल होगी इसलिए प्रार्थी की निगरानी आज ही सुनवाई पर लिया जाना उचित एवं न्याय संगत है

अतः निवेदन है कि प्रार्थी का उपरोक्त प्रकरण आज ही सुनवाई पर लिये जाने की कृपा की जावे

दिनांक — 15/4/2014

प्रार्थी

अनवर खाँन

द्वारा अभिभाषक

आर. एल. शर्मा

(45)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 591–पीबीआर/2015 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–04–2015	आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया । आवेदक अधिवक्ता श्री आर.एस.गौड़ उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना । 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ तहसीलदार न्यायालय तहसील इंदौर जिला इंदौर के प्रकरण कमांक 1/अ–70/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 27–2–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया जिससे दुखित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है । 3– तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा आवेदक का धारा 32 का आवेदन निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है व प्रकरण में आवेदक को जबाव हेतु अवसर प्रदान किया है आवेदक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने प्रथमदृष्टया इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । प्रशासकीय सदस्य	